



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227399
CG-DL-E-07062021-227399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2008]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943

No. 2008]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

का.आ. 2165(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

अनुसूची में, क्रम सं. 516 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
516	143डी	केरया के पास रारा सं. 143 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कियोंगपानी, ससिया, लोइंगा, जरिया, लोधमा को जोड़ते हुए झारखंड राज्य में सिथियो (रांची) के पास समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पणः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 2142(अ), दिनांक 3 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

राजेश गुप्ता, निदेशक

[फा. सं. एनएच-14012/27/2014-पी एंड एम (पी-9)]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2021

S.O. 2165(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 516 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
516	143D	The highway starting from its junction with NH-143 near Kereya connecting Keyondpani, Sasia, Loenga, Jariya, Lodhma and terminating near Sithiyo (Ranchi) in the State of Jharkhand.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2142 (E), dated 3rd June, 2021.

RAJESH GUPTA, Director

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M(P-9)]